



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
दुगड्डा-गढ़वाल

E-mail id :- eepwddugadda@rediffmail.com
eepwddugadda@gmail.com

Phone & Fax No :- 01382-251221

पत्रांक 4282

/ 5-सी०

दिनांक 24/09/21

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाईगर रिजर्व
5/1 अंसारी मार्ग
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी पर 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० सेतु निर्माण कार्य हेतु 0.51 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No FP/UK/ROAD/ 44583/2020)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक-8वी०/यू०सी०पी०/06/159/2020/एफ०सी०/2529 दि० 26/3/21

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी पर 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० सेतु निर्माण हेतु 0.51 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार किया जा रहा है :-

- 1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी (प्रमाण-पत्र संलग्न)।
- 2- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी (आवश्यकता नहीं है)।
- 3- प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वित्तीय वर्ष 2021-2022 की दर से) रू० 3,43,928.00 की धनराशि का भुगतान कैम्पा कोष में आर०टी०जी०एस० यू०टी०आर० नं०-SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा जमा करा दिया गया है (आर०टी०जी०एस० की छाया प्रति संलग्न)।
- 4- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भ रू० 3,43,928.00 की लागत आर०टी०जी०एस० यू०टी०आर० नं०-SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा परियोजना प्राधिकरण में अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित करने हेतु भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जाने हेतु विभाग को कोई आपत्ति नहीं है (आर०टी०जी०एस० की छाया प्रति संलग्न)।

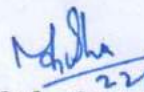
- 5- शुद्ध वर्तमान मूल्य
- क माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0- 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 5/2/2009 के तहत दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)की निर्धारित ईको -क्लास श्रेणी-द्वितीय के मूल्यांकन पर धनराशि रू0 22,33,800.00 मात्र का भुगतान आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नं0-SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा कैम्पा कोष में जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।
- ख याचक विभाग द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती है तो इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- 6- विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। (संलग्न)।
- 7- Details of Density and Eco-Class found different in para 4 part II and NPV sheet. DFO had verified the density and Eco class and accordingly NPV had been Deposited.
- 8- परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।
- 9- गाईड लाईन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही गतिमान है (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 10- एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा (संलग्न)।
- 11- प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 12- संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 13- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 14- केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

- 15- वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 16- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन किया जाएगा (संलग्न)।
- 17- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 18- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 19- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 20- केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसी या विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 21- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दि0-29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होने पर प्रयोक्ता अभिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 22- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 23- प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वाविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा। कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 24- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेदारी होगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- 25- अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://forestclearance.nic.in>) पर अपलोड कर दी गई है।

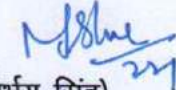
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक 4282

/ 5 नो


 (निर्मय सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
 दुगड्डा-गढ़वाल
 दिनांक 22/09/22

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (निर्मय सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
 दुगड्डा-गढ़वाल

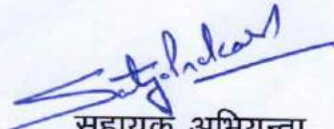
बिन्दु सं०-1

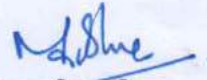
परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

बिन्दु सं०-९

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गार्ड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। अग्रिम कार्यवाही के पश्चात् यथासमय पर सूचित कर दिया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

FORM-II
(for linear projects)
Government of Uttarakhand)
Office of the District Collector, Garhwal.

No. 45/PA - 2020

Dated 15/2/2020

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in favour of public work Department (Name of User Agency) for Construction Division, PWD Dugadda (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituency -Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018) villagers (s) in Yamkeshwar tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.510 hectares of **Reserve Forest Land** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the forest Rights committee(s) Gram sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1-4 annexure 7-10.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabha have given their consent to it,
- the each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Photocopy attested

[Signature]

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोअनिर्देश
दुगडा (गढ़वाल)

Signature

[Signature]

(Dhiraaj Singh Gabriyal IAS)
District Collector, Pauri

[Stamp]

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- गंगाभोगपुर (कौड़िया)
तहसील यमकेश्वर, जिला-पौड़ी गढ़वाल।

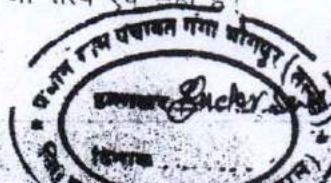
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.510 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-गंगाभोगपुर द्वारा दिनांक 3/2/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गंगाभोगपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिया जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



Amul
उपस्थित क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर
जिला-पौड़ी



नोट - यदि किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी की भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को सौंपा जायेगा।

Photocopy attested

nsh

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

प्रपत्र 23-1

दिनांक 3/2/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- गंगाभोगपुर

क्र०स०	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	पंकज सिंह	Pankaj
②	पुदीप सिंह	Paul
③	राजेश बेलवाल	Rajesh
4-	राजीव प्रकाश	Rajiv
5-	राजेश कुमार	Rajesh Kumar
6-	गीता देवी	गीता देवी
7-	सुशील कुमार	Sushil Kumar
⑧	गणेश कुमारी	गणेश कुमारी
⑩	सन्नी	Sunny
11	आनन्द सिंह	Anand
	महेन्द्र कुमार	Mahendra Kumar
	सन्दीप सिंह	Sandeep Singh

राजेश प्रसाद

गौरी दत्त शर्मा

विवीता देवी

विमल सिंह

अरवि प्रसाद

photocopy attested

M.B.M.

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगडा (गढ़वाल)सदस्य क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विकास खण्ड-यमकेश्वर
जिला-पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 23-2

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड यमकेश्वरपरिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य (0.510 है० आरक्षित वन भूमि शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डाप्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील यमकेश्वर) की दिनांक 4/12/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री रमेश चन्द्र शर्मा उपजिलाधिकारी यमकेश्वर, अध्यक्ष उप जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
- 2- श्री रमेश चन्द्र शर्मा वन्य जीव प्रतिपालक, सत-डिप्टिन, वन्य जीव प्रतिपालक
- 3- श्री कुलीप सिंह पवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी यमकेश्वर, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, चीला (तहसील)
- 4- श्री विमल सिंह बी०डी०सी०क्षेत्र / गंगा भोगपुर सदस्य। क्षेत्रीय क्षेत्र पंचायत समिति, गंगा भोगपुर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की कार्यवाही आरम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण परियोजना हेतु 0.510 है० आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड़डाप्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उप जिलाधिकारी का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Photocopy attested

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वर्तमान में उपखण्ड यमकेश्वरपरिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून से प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवंटित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

(L. P. Singh)
वन्य जीव प्रविष्टा
चीला (रिजर्व)
राजाजी टाईगर रिजर्व

अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विकास खण्ड-राजाजी
जिला-पौड़ी गढ़वाल

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड यमकेश्वर

उप जिलाधिकारी,
यमकेश्वरपरिक्षेत्र/गढ़वाल
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील-यमकेश्वर।
जनपद-पौड़ी।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
यमकेश्वरपरिक्षेत्र/गढ़वाल
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील-यमकेश्वर।
जनपद-पौड़ी।

Photocopy attested

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०
दुमडडा (गढ़वाल)

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.510 हे० आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति.....तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

Photocopy attested
Mishra

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

DR-5
(धीराज सिंह गर्वाल आई०ए०एस०)
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
गढ़वाल

प्रपत्र 23-4

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.510 है० आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्त एजेन्सी) का पत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं. 0-11-9/98-एफ०सी० दि० 5/2/13 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों तथा सड़क नहर, परिपण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल एवं पाईप लाईन आदि बिछाने आदि के प्रकरणों का वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

LR-3
(धीराज सिंह गर्ब्याल आई०ए०एस०)
जिलाधिकारी
पौड़ी।

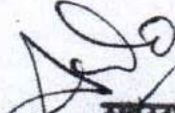
जिलाधिकारी
गढ़वाल

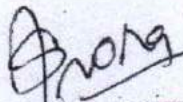
Photocopy attested

M/S
अधिकारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०,
दुगड्डा (गढ़वाल)

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituency -Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018) (Bridge Length 200m span) Regarding FRA is as following.

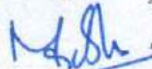
SL NO		REMARK
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.510 Hect. Of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right Committee (s) Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned Various villagers in Dandamandal regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre agriculture Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


सदस्य
जिला पंचायत उमरोली
पौड़ी गढ़वाल


जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी


निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तराखण्ड देहरादून

Photocopy attested


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०दि०
बुगड्डा (गढ़वाल)


श्रीराज सिंह गब्याल (अधीनस्थ)
जिलाधिकारी
पौड़ी
जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक. / / 2020 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1-	सर्व श्री धीराज सिंह गर्ब्याल	जिलाधिकारी, पौड़ी	अध्यक्ष।
2-	श्री टी०के० पात्रो	निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क	सदस्य।
3-	श्रीमती सूनिता अरोड़ा	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4-	कु० आरती गौड़	जिला पंचायत सदस्य उमरोली	सदस्य।

बताया गया कि यमकेश्वर ब्लॉक में बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गों का विवरण निम्नवत् है

- 1- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन:- इस सेतु का निर्माण चीला-पशुलोक मोटर मार्ग के पास बीन नदी पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस सेतु के निर्माण हेतु 0.510 हे० राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून की आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। सेतु निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से आस-पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

BR-
जिलाधिकारी
गढ़वाल

Photocopy attested

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मांगता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि 0.510 हे० लो०नि०वि० को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

LR-
(धीराज सिंह गर्वाल) आई०ए०एस०
जिलाधिकारी पौड़ी जिलाधिकारी
गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड़डा।

पत्रांक 721/19 सी०

दिनांक 19/02/2020

- प्रतिलिपि :- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2-उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Photocopy attested

[Signature]
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

[Signature]
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
दुगड़डा-गढ़वाल।

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri District, Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dheeraj Singh Gabriyal I.A.S. deputy commissioner, Pauri on dated 14/2/2020 at Pauri in which application claiming rights in Reserve Forest area measuring **0.510 Hect** for the Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituency -Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018) **(Bridge Length 200m span)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee ~~Yamkeshwar~~ sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no Objection/ claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place...Pauri

Dated...14/2/2020

DR-1

(Dheeraj Singh Gabriyal IAS)

Deputy Commissioner- cum-Chairman
District Level committee.

photocopy attested

ndhi

अविशाली जलमय
निर्माण स्वच्छ लोचनिक
दुग्ध (गदवाल)

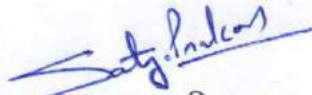
बिन्दु सं०-11

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल

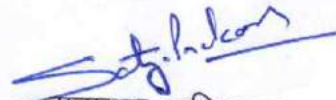
बिन्दु सं०-12

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

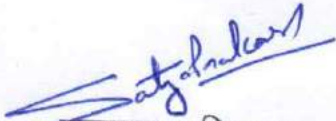
बिन्दु सं०-14

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल

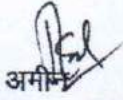
प्रारूप-51

परियोजना का नाम :-

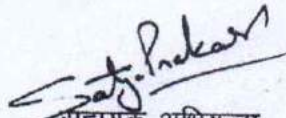
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अमीन

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

Photocopy attested



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
दुगड़डा (गढ़वाल)

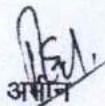
प्रारूप-39

परियोजना का नाम :-

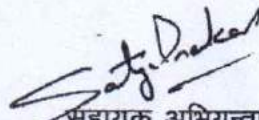
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बिन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

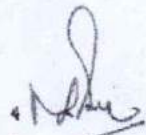
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।



अभिनि
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

Photocopy attested



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

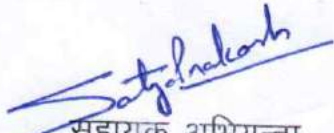
बिन्दु सं०-15

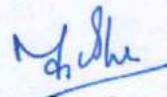
परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल

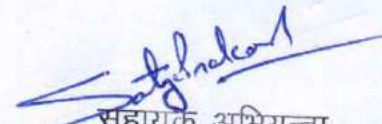
बिन्दु सं०-17

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल

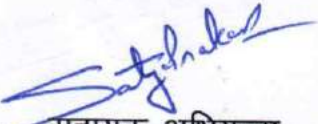
बिन्दु सं०-18

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

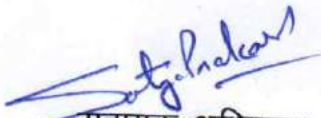
बिन्दु सं०-19

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

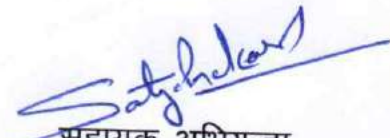
बिन्दु सं०-20

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी या विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

प्रारूप-54

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगामोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

[Signature]

अमीन
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

[Signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

[Signature]

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

[Signature]

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज
राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,

[Signature]

वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,
देहरादून।

[Signature]

उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,
देहरादून।

[Signature]
वन्य जीव प्रतिपालक

चीला (हरिद्वार)
राजाजी टाईगर रिजर्व

Photocopy attested

[Signature]

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
दुगड़डा (गढ़वाल)

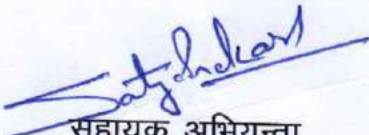
बिन्दु सं०-22

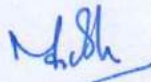
परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

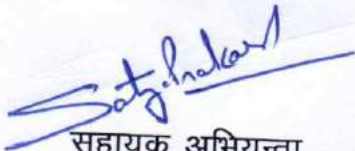
बिन्दु सं०-21

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं० 1 से 25 तक किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दि०-29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होने पर प्रयोक्ता अभिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

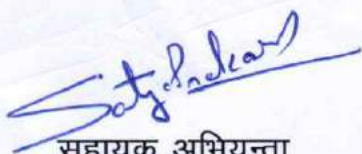
बिन्दु सं०-23

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल

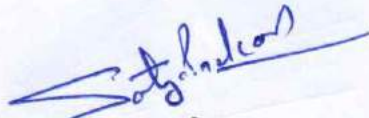
बिन्दु सं०-24

परियोजना का नाम :-

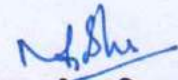
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड्डा-गढ़वाल

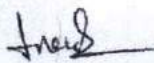
प्रारूप-24

परियोजना का नाम :-

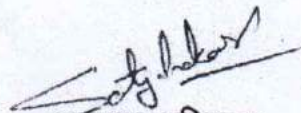
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

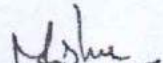
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।



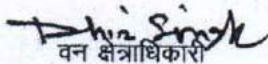
अमीन
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



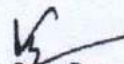
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
दुगड़डा-गढ़वाल



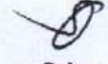
वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज
राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,



वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,

इम्प्लायर
वन्य जीव प्रतिपालक

चीला (हरिद्वार)
राजाजी टाईगर रिजर्व



उप निदेशक
राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,
देहरादून।

Photocopy attested



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

NEFT: Message Details

UTR Number	SBIN521261693537
Transaction Branch	00585
Value Date	18/09/2021
Amount	2577728 INR
Commission	0

Beneficiary Details

Beneficiary Account	150896144583532
Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
Beneficiary Address	

IFSC Code	UBIN0903710
-----------	-------------

Remitting Customer Details

Account Number	00000037608156503
Remitter's Name	BR PARKING
Remitter's Address	

Sender's To Receiver Information

NEFT AGAIST DD 380651383

Details of Payment

Error Code

Fund Status



Photocopy attested

अधिसासी अधिवन्ता
निर्माण खण्ड लोकोपयोगि
दुपकड़ा (गढ़वाल)